तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23-7-2021	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार कर आन्तिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

44/दावा/2013
दायरा दिनाकं 24.06.2013

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1. बलीगुददीन खां आयु 61 वर्ष पुत्र अनावारूददीन खां निवासी मकान नं0 2625, मोहल्ला फकीर बादशाह फुटा खुर्रा रामगंज जयपुर मृतक के कायम मुकाम–
1/1 शाहीदा बेगम आयु 60 वर्ष पत्नी बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/2 कफीलुद्दीन खां आयु 37 वर्ष पुत्र बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/3 तशकीलुद्दीन खां आयु 35 वर्ष पुत्र बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/4 गाजिया खानम आयु 32 वर्ष पुत्री बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/5 रहनुमा खां आयु 28 वर्ष पुत्री बलीगुददीन खां जाति मुसलमान निवासी 2625 कावंटियों का खुर्रा फकीर बादशाह मोहल्ला जयपुर राजं
2. नईमुद्दीन खां आयु 27 वर्ष पुत्र अनवारूददीन खां जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 2625 मोहल्ला फकीर बादशाह फुटा खुर्रा रामगंज जयपुर राज0।
3. मजरूद्दीन खां आयु 42 वर्ष पुत्र अनवारूददीन खां निवासी मिर्जा मौहल्ला मस्जिद् नददाफान के पास सवाई माधोपुर राज0।
4. जकीउद्दीन खां आयु 38 वर्ष पुत्र अनवारूददीन जाति मुसलमान निवासी मिर्जा मौहल्ला मस्जिद् नददाफान के पास सवाई माधोपुर राज0।
5. मासुम खानम आयु 64 वर्ष पत्नी मुन्तका खां पुत्री अनवारूददीन खां निवासी हमालो का मोहल्ला सवाई माधोपुर राज0।
6. सफिया खानम आयु 69 वर्ष पत्नी खलीलउददीन पुत्री स्व0 अनावारूददीन खां निवासी झुला वाली गली तोपखाने का रास्ता चांदपोल जयपुर।
7. जकिया खानम आयु 52 वर्ष पत्नी सरफराज उल्लाह पुत्री स्व0 अनवारूददीन खां निवासी पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास सैययद कॉलोनी चार दरवाजा बाहर जयपुर राज0।
8. अफरोज खानम आयु 50 वर्ष पत्नी अनीष खां पुत्री अनवारूददीन खां निवासी फिरोज बेकरी मोहल्ला पंच[illegible] वाली [illegible] जयपुर राज0।
9.. आफिफा खानम आयु [illegible] वर्ष पत्नी [illegible] मिर्जा पुत्री अनवारूददीन खां निवासी जाली वाली मस्जिद तोपखाने का [illegible] चांदपोल जयपुर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

10. रानी तबस्सुम खानम आयु 40 वर्ष पत्नी मुर्जफर बैग पुत्री अनवारूददीन खां निवासी मौहल्ला पंचरग पटटी बासबदंनपुरा जयपुर राज0।

11 जरताब खानम 34 वर्ष पत्नी एजाज अली पुत्री नसीमउददीन जाति मुसलमान जयपुर राज0।

12 वसीमुद्दीन आयु 30 वर्ष पुत्र स्वं0 नसीमुददीन जाति मुसलमान निवासी जयपुर

13. कलीमुद्दीन आयु 12 वर्ष पुत्र नसीमुउदीन जर्ये संरक्षक भ्राता वसीमउददीन निवासी मस्जिद नददाफान के पास बाबू का टीबा, रामगंज जयपुर राज0 –

जर्ये मुख्तारआम फिरोजुद्दीन आयु 57 वर्ष पुत्र अनवारूददीन खां जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 2625 मोहल्ला फकीर बादशाह फुटा खुर्रा रामगंज जयपुर राज0।

——वादीगण

——बनाम——

1 ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र हरदेव जाति चमार निवासी रामनगर पंचायत गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

2 बहादुर आयु 30 वर्ष पुत्र रमेश जाति चमार निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

3 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

——प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0 टी0 एक्ट</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक 23.07.2021

वादीगण धारा 88,89,188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 2 के खसरा नं0 243 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 311 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 312 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 313 रकबा 0.91 है0, खसरा न0 314 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 315 रकबा 2.61 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 318 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 319 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 320 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 321 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 322 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 325 रकबा 1.30 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 328 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 332 रकबा 1.[illegible] है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.18 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

1.30 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 328 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 332 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.18 है0 कुल किता 22 योग रकबा 19.25 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढा पटवार क्षेत्र गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड के खातेदार कॉलम में अनवारूददीन पुत्र जियाउद्दीन कौम मुसलमान साकिन सवाई माधोपुर जैली – हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार अंकित चला आ रहा है।

वाद वर्णित कृषि भूमियों के पूर्व खातेदार अनवारूद्दीन ने 40–50 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वज हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार से पाती से लगातार 20–25 वर्ष तक काश्तकारी करवाई थी। उसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वज ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके बतौर पातीदार काबिज काश्त रहने से जैली अंकित करवा लिया गया। अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वज हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार की मृत्यु हो चुकी है। उनके स्थान पर दो पुत्र ओम प्रकाश व रमेश रहे है जिनमें से रमेश की मृत्यु हो चुकी है। उनके स्थान पर उत्तराधिकारी के रूप में बहादुर पुत्र रमेश वर्तमान में मौजूद है, जिनको वाद पत्र में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाये गये।

वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी अपने पूर्वज अनवाउद्दीन के समय से काबिज काश्त होने से एवं काश्तकारी करके लगान पिलाई जमा करवाते चले आ रहे है एवं प्रतिवर्ष कृषि लाभ प्राप्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि ही जिविकोपार्जन का एक मात्र साधन है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वजो का नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के खातेदार कॉलम में हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार जैली अंकित होने से वादी को आर्थिक व वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में एवं कृषि भूमि को उपजाऊ बनाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ता है, जो हानिप्रद है। वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वजों हरदेव पुत्र अमरा का नाम अंकित होने से लाभ लेकर अपना नाम फोती इन्तकाल अंकित करवाने के लिए तहसील कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके अपना नाम अंकित करवा दिया गया तो वादी को भारी अपूरणीय क्षति होगी एवं वादी को अपनी भूमि से बेदखल होना पड़ेगा एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

वादी नें दिनांक 30.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को निवेदन किया कि आप तहसील कार्यालय में चलकर अपने पूर्वजों का नाम हरदेव पुत्र अमरा जैली के इन्द्राज को हटवा ले, तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि अपने पूर्वजों के नाम के आधार पर वाद वर्णित भूमियों पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करेंगें। यही वाद कारण है। और अन्त में निवेदन किया कि वादवर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित जैली हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार के इन्द्राज को विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 20.04.2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हो गया है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वज जैली हरदेव पुत्र अमरा जाति चमार अंकित है, जिसमें मृतक हरदेव के वारिसान का प्रकरण में राजीनामा हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 सहमत है। वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित जैली हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार के इन्द्राज को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को कोई आपत्ति ऐतराज नही रहेगा। दिनांक 15.03.2019 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब दावे के साथ प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को नोट प्रेस किया गया। प्रस्तुत राजीनामा को वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण की एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की शिनाख्त की गई।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की वाद पत्र पर अन्तिम बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादवर्णित आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 311 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 312 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 313 रकबा 0.91 है0, खसरा नं0 314 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 315 रकबा 2.[illegible] है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 319 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 320 रकबा 0.7[illegible] है0, खसरा नं0 321 रकबा 0.73

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

है0, खसरा नं0 322 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 325 रकबा 1.30 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 328 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 332 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.18 है0 कुल किता 22 योग रकबा 19.25 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित कृषि भूमि वादीगण के पिता अनवारूद्दीन पुत्र जियाउद्दीन कौम मुसलमान साकिन सवाई माधोपुर की खातेदारी की कृषि भूमि थी प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के पूर्वजों द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बतौर पातीदार काबिज काश्त रहने से जैली अंकित करवा लिया गया जो गलत है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त R.T.A. act की धारा 45,46 पेज नं0 161, R.R.D. 1994 (H.C.) D.B. page no. 1, R.R.D. 1963 page no 304, D.N.J.(raj.) 2000–2001 (suppl) page no. 245, S.C. अपील दीवानी निर्णय दिनांक 03.07.2012 पेश किए गए। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार कोई प्रतिवाद नही किया गया।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आर.टी.एक्ट की धारा 45,46 के तहत भूतपूर्व कोटा राज्य जैली का खातेदारी अधिकार नही है। धारा 45 व 46 पट्टे व उपपट्टे पर खुदकाश्त की भूमि देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाती है, अतः भूतपूर्व क़ोटा राज्य के "जैली" किसान को खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते धारा 19 के अधीन भूतपूर्व कोटा राज्य "जैली" अभिलिखित व्यक्ति उपधारी नही है R.R.D. 1963 (H.C.) page no. 304 वाद पत्र में वर्णित भूमि पर चस्पा होता है, अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वादवर्णित आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 311 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 312 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 313 रकबा 0.91 है0, खसरा नं0 314 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 315 रकबा 2.61 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 318 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 319 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 320 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

321 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 322 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 325 रकबा 1.30 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 328 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 332 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.18 है0 कुल किता 22 योग रकबा 19.25 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित जैली हरदेव पुत्र अमरा कौम चमार निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी को विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी ब मुकदमें इब्तादाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

... अदालत .....उपखण्ड अधिकारी................................ मुकाम.............लाखेरी ....

....व इजलास..........प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)..

1.मृतक बलीगुददीन खां आ0 अनवारूद्दीन का0मुकाम..........बनाम....1. ओमप्रकाश आ0 हरदेव जाति चमार

1/1 साहिबा बेगम पत्नी बलीगुद्दीन जाति मुसलमान निवासी फुटा खुर्रा रामगंज जयपुर वगैरह (वादीगण)

निवासी रामनगर (गुढा)तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत...........88,89,188 आर टी एक्ट ....

मुकदमा नम्बर.............44/दावा/2013..सन..............................
..................यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........हमरे..
.............व हाजिरी

..श्री बालकिशन रायका एडवोकेट..................................मिनजानिब मुद्दई रूबरू..........श्री अब्दुल सत्तार एडवाकेट ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि ......वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है वादवर्णित आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 311 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 312 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 313 रकबा 0.91 है0, खसरा नं0 314 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 315 रकबा 2.61 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 318 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 319 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 320 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 321 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 322 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 325 रकबा 1.30 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 328 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 332 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.18 है0 कुल किता 22 योग रकबा 19.25 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित जैली हरदेव पुत्र अमरा कोम चमार निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी को विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ....निज.. मुबलिग..बाबत..खर्चा इन मुकद्मे के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...23 माह ..07.. सन.....
2021...............को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: Self Attested

मुद्दई	रूपया	पैसे	मु[illegible]	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.[illegible] अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			[illegible]		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना [illegible]		
4.महनताना वकील			[illegible]		
5.खर्चा गवाहीन			[illegible]		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(प्र.मो.)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

1/2 कफीलुद्दीन खां आयु 37 वर्ष पुत्र बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/3 तशकीलुद्दीन खां आयु 35 वर्ष पुत्र बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/4 गाजिया खानम आयु 32 वर्ष पुत्री बलीगुददीन खां जाति मुसलमान
1/5 रहनुमा खां आयु 28 वर्ष पुत्री बलीगुददीन खां जाति मुसलमान निवासी 2625 कावंटिया खुर्रा फकीर बादशाह मोहल्ला जयपुर राजं

2. नईमुद्दीन खां आयु 27 वर्ष पुत्र अनवारूददीन खां जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 2625 मोहल्ला फकीर बादशाह फुटा खुर्रा रामगंज जयपुर राज0।

3. मजरूद्दीन खां आयु 42 वर्ष पुत्र अनवारूददीन खां निवासी मिर्जा मौहल्ला मस्जिद् नददाफान के पास सवाई माधोपुर राज0।

4. जकीउद्दीन खां आयु 38 वर्ष पुत्र अनवारूददीन जाति मुसलमान निवासी मिर्जा मौहल्ला मस्जिद् नददाफान के पास सवाई माधोपुर राज0।

5. मासुम खानम आयु 64 वर्ष पत्नी मुन्तका खां पुत्री अनवारूददीन खां निवासी हमालो का मोहल्ला सवाई माधोपुर राज0।

6. सफिया खानम आयु 69 वर्ष पत्नी खलीलउददीन पुत्री स्व0 अनावारूददीन खां निवासी झुला वाली गली तोपखाने का रास्ता चांदपोल जयपुर।

7. जकिया खानम आयु 52 वर्ष पत्नी सरफराज उल्लाह पुत्री स्व0 अनवारूददीन खां निवासी पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास सैययद कॉलोनी चार दरवाजा बाहर जयपुर राज0।

8. अफरोज खानम आयु 50 वर्ष पत्नी अनीष खां पुत्री अनवारूददीन खां निवासी फिरोज बेकरी मोहल्ला पंचरंग पटटी बासबदनपुरा जयपुर राज0।

9.. आफिफा खानम आयु 46 वर्ष पत्नी गफफार मिर्जा पुत्री अनवारूददीन खां निवासी जाली वाली मस्जिद तोपखाने का रास्ता चांदपोल जयपुर राज0।

10. रानी तबस्सुम खानम आयु 40 वर्ष पत्नी मुर्जफर बैग पुत्री अनवारूददीन खां निवासी मौहल्ला पंचरग पटटी बासबदनपुरा जयपुर राज0।

11 जरताब खानम 34 वर्ष पत्नी एजाज अली पुत्री नसीमउददीन जाति मुसलमान जयपुर राज0।

12 वसीमुद्दीन आयु 30 वर्ष पुत्र स्वं0 नसीमुददीन जाति मुसलमान निवासी जयपुर

13. कलीमुद्दीन आयु 12 वर्ष पुत्र नसीमुउदीन जर्ये संरक्षक भ्राता वसीमउददीन निवासी मस्जिद नददाफान के पास बाबू का टीबा, रामगंज जयपुर राज0 –
जर्ये मुख्तारआम फिरोजुद्दीन आयु 57 वर्ष पुत्र अनवारूददीन खां जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 2625 मोहल्ला फकीर बादशाह फुटा खुर्रा रामगंज जयपुर राज0।
——वादीगण

——बनाम——

2 बहादुर आयु 30 वर्ष पुत्र रमेश जाति चमार निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

3 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

——प्रतिवादीगण

अधिकारी
अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner